

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-2

संख्या-1371/36-2-2017-130/2010टी0सी0-1

लखनऊ, दिनांक- 31 अगस्त, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली, 2009 के नियम 256 तथा 257 के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या-27, सन्1996) की धारा 18 की उपधारा (1) व (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, निम्नलिखित सदस्यों से सम्मिलित उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड नामक बोर्ड का गठन करते हैं जो उक्त अधिनियम और उक्त नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा :-

1	अपर मुख्य सचिव, (श्रम) उत्तर प्रदेश शासन।	पदेन-अध्यक्ष	(नियम-256(1))	
2	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार।	पदेन-सदस्य	(नियम-256(2))	
3	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	पदेन-सदस्य/ मुख्य निरीक्षक	(नियम-256(3))	
4	विशेष सचिव, आवास विभाग।	पदेन-सदस्य	(नियम-256(4))	
5	विशेष सचिव, वित्त विभाग।	पदेन-सदस्य	(नियम-256(4))	
6	विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग।	पदेन-सदस्य	(नियम-256(4))	
7	सेवायोजक प्रतिनिधि	सदस्य	(नियम-256(5))	1- श्री राम औतार सैनी, ग्राम गनौरा, पोस्ट कुमेहरा, बिजनौर। 2- श्री अभय प्रताप सिंह, साखोपार कसया, कुशीनगर। 3- श्रीमती आशा मौर्य, प्रबन्धक, हाईवेस पब्लिक स्कूल, आशापुरम् कालोनी, ठाकुरगंज, लखनऊ।

8	कर्मचारी प्रतिनिधि	सदस्य	(नियम-256(6))	<p>1- श्री कान्त अवस्थी, राज्य महा सचिव, भारतीय मजदूर संघ, 2 नवीन मार्के कानपुर।</p> <p>2- श्री राजनाथ, बी०ओ०सी० वर्कर, फेडरेशन ऑफ इण्डिया, कानपुर रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।</p> <p>3- श्रीमती सरिता शाक्य, राज्य उपाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष, आंगनबाडी एवं सहायिक वेलफेयर एसोसियेशन, मोटा रोड, बेवर, मैनपुरी।</p>
---	--------------------	-------	---------------	--

कृष्ण मोहन त्रिवेदी
विशेष सचिव।

संख्या-1371(1)/36-2-2017-130/2010टी०सी०-1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- श्रमायुक्त, उ०प्र०, कानपुर।
- 2- सचिव, उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लेखराज मार्केट-11 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 3- संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अधिकारीगण।
- 4- संबंधित अनुभाग, श्रम, उ०प्र०शासन।
- 5- संबंधित सेवायोजक/श्रमिक प्रतिनिधि (द्वारा श्रमायुक्त)
- 6- संयुक्त निदेशक/राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, ऐशबाग, लखनऊ को आज दिनांक ...31.8.17... के अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की 100 मुद्रित प्रतियाँ अनुभाग अधिकारी, श्रम अनुभाग-2, बापू भवन लखनऊ उ०प्र० शासन एवं 100 मुद्रित प्रतियाँ श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- गार्ड बुक।

आजा से,

↓

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN

Shram Anubhag-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1371/XXXVI-2-2017 Dated 31 August, 2017.

NOTIFICATION

No.- 1371 /36-2-2017-130/2010 T.C.-1

Lucknow, Dated 31 August, 2017

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (3) of section-18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Act no.27 of 1996) read with rules 256 and 257 of the Buildings and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2009, the Governor is pleased to constitute a Board to be known as the Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board consisting of the following members with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, to exercise the powers conferred on, and perform the functions assigned to, it under the said Act and the said rules:-

1.	Additional Chief Secretary (Labour), Uttar Pradesh Government.	Ex-officio Chairman	[Rule-256(I)]	
2.	Welfare Commissioner, Government of India.	Ex-officio Member	[Rule-256(II)]	
3.	Labour Commissioner, Uttar Pradesh.	Ex-officio Member/ Chief Inspector	[Rule-256(III)]	
4.	Special Secretary, Housing Department.	Ex-officio Member	[Rule-256(IV)]	
5.	Special Secretary, Finance Department.	Ex-officio Member	[Rule-256(IV)]	

6.	Special Secretary, Public Works Department.	Ex-officio Member	[Rule- 256(IV)]	
7.	Employer's Representatives.	Member	[Rule- 256(V)]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shri Ram Autaar Saini Village-Ganaura, Post- Kumehra, Bijnore. 2. Shri Abhay Pratap Singh, Saakhopar Kasya, Kushinagar. 3. Mrs. Asha Maurya, Manager, Highways Public School, Ashapuram Colony, Thakurganj, Lucknow.
8.	Employees Representatives.	Member	[Rule- 256(VI)]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shri Kant Awasthi, State General Secretary, Bhartiya Majdoor Sangh, 2 Naveen Marke, Kanpur. 2. Shri Rajnath, BOC Worker Federation of India, Kanpur road, Civil Lines, Allahabad. 3. Mrs. Sarita Shakya, State Vice-President/ District President, Aanganbadi Evam Sahayik Welfare Association, Mota road, Bevar, Mainpuri.

↓

(K.M. Trivedi)

Special Secretary